पत्रांक–3/सी0–81/2021सा०प्र०..10586....../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक ....15/9/.... 2021

विषय– **विभागीय कार्यवाही का नियमानुकूल संचालन एवं ससमय निष्पादन हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संग्रह (वर्ष 2001 से 2010 तक) भाग–1 के अध्याय–9 में अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियमावली एवं परिपत्रों का संग्रहण किया गया है। साथ ही परिपत्र संग्रह के प्रकाशन के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र संख्या– 1893 दिनांक– 14.06.2011; 9407 दिनांक–02.07.2012; 2763 दिनांक– 26.02.2014; 10798 दिनांक–04.08.2014; 17696 दिनांक–23.12.2014; 12787 दिनांक–28.08.2015; 11931 दिनांक–01.09.2016; 12196 दिनांक–07.09.2016; 13360 दिनांक–29.09.2016; 8237 दिनांक–06.07.2017; 8811 दिनांक–18.07.2017; 10875 दिनांक– 24.08.2017; संकल्प सं0–14106 दिनांक– 08.11.2017; परिपत्र सं0– 15548 दिनांक–06.12.2017; अधिसूचना सं0–15983 दिनांक–14.12.2017; परिपत्र संख्या–806 दिनांक–16.01.2018 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या– 105 दिनांक– 25.01.2017 निर्गत है। परिपत्र संग्रह एवं उक्त वर्णित परिपत्र संबंधित विभाग के बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के क्रम में इनके प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

फिर भी ऐसा देखा जा रहा है कि कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन से संबंधित प्रावधानों/प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

विदित हो कि विभिन्न विभागों में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों का विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) द्वारा संचालित किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–6210 दिनांक–14.05.2018 द्वारा विभाग/कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के अद्यतन प्रावधान एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने हेतु सभी विभागों/कार्यालयों को निदेशित भी किया गया है।

अतः पुनः अनुरोध है कि बिपार्ड से सम्पर्क कर विभाग/कार्यालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के अद्यतन प्रावधान एवं प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित कराने की कृपा की जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

14/3/19

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।

D:/sec-3/sadan kumar Jha
3-M-2017 Page 306